

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि.....(अ.)- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"13	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली सेवाएं।	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स	ऐसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो।";

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
(छ) "अचल संपत्ति को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपत्ति को पूर्णतया या अंशतया उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमति देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमति देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपत्ति के कब्जे के अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना, लाइसेंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपत्ति से संबंधित हो, भी आता है।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फाइल संख्या 354/13/2018- टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018, सा.का.नि 71 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।